आदेश

मुख्य सचिव महोदय, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 195 / 33–3–2015 –110 / 2012 दिनांक 06 फरवरी, 2015 के क्रम में उल्लिखित है कि स्वच्छ भारत अभिया–ग्रामीण का व्यापक प्रचार–प्रसार, ट्रिगरिंग एवं मार्निंग फालोअप करते हुए जनपद प्रतापगढ को खुले में शौच मुक्त (O.D.F.) बनाया जाना है।

ओ0डी0एफ0 की मूल परिकल्पना ग्रामवासियों / जनपदवासियों को खुले में शौच से मुक्त है जिसके लिए लोगों को खुले में शौच के विरूद्व उत्प्रेरित कर ग्रामवासियों में सोच परिवर्तन किया जाता है जिसे ट्रिगरिंग कहा जाता है। ट्रिगरिंग के पश्चात् मार्निंग फालोअप किया जाता है जिसमें प्रातः 5.00 से 7. 00 बजे के मध्य ग्राम पंचायतों में उपस्थित होकर ट्रिगरिंग के पश्चात गठित पुरूष, महिला एवं बच्चों की निगरानी समितियों को क्रियान्वयित एवं उत्साहित किया जाता है।

विगत तीन माह से जनपद में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत समुदाय आधारित स्वच्छता कार्यक्रम **"पावन प्रतापगढ"** प्रत्येक विकासखण्ड की 08 से 10 ग्राम पंचायतों में खुले में शौच मुक्त होने का अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जनपद में कई ग्राम पंचायतें एवं राजस्व ग्राम खुले में शौचमुक्त घोषित हुए है जो कि जनपद के अन्य ग्राम पंचायतों के लिए प्रेरणास्रोत है।

अतः जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों (विकासखण्ड संडवाचंद्रिका को छोडकर) को सम्पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त बनाने **दिनांक 12.07.2016** को प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजस्व ग्रामवार अथवा मजरेवार समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता (CLTS) अन्तर्गत निम्न कार्यक्रमानुसार ग्राम पंचायतस्त्तर पर **"पावन प्रतापगढ"** के अन्तर्गत ग्राम प्रधान, कोटेदार, आंगनबाडी कार्यकत्री, आशा, सफाई कर्मी, स्वंय सहायता समूहों, नेहरू युवा केन्द्र के वॉलण्टियर, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, स्वच्छता खण्ड प्रेरक, शिक्षा प्रेरक, कोटेदार, प्राथमिक / उच्च प्राथ0 विद्यालय के अध्यापक / प्रधानाध्यापक, कृषि विभाग से जुड़े कृषक, साधन सहकारी समितियों के सचिव, व सकिय किसान अभियान में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करते हुए, समाजवादी पेंशन, लोहिया आवास, इन्दिरा आवास आदि योजना का लाभ पा रहे लाभार्थियो एवं अन्य ग्रामवासियो को सम्मिलित करते हुए **"पावन प्रतापगढ दिवस"** का आयोजन किया जायेगा। इसके द्वारा आम जनमानस में स्वच्छता का संदेश पहुँचाया जायेगा।

दिनांक	समय	होने वाली गतिविधि	कार्यक्रम में प्रतिभागीगण	आयोजक
12 जुलाई 2016	प्रातः 8.30 से 12.00 बजे तक	प्रथम बेला में स्वच्छता गतिविधियों पर ग्राम पंचायत की खुली बैठक	स्वच्छता खण्ड प्रेरक (उपलब्धता के अनुसार, ग्राम पंचायत सचिव एवं सफाई कर्मचारी, ग्राम प्रधान, समस्त ग्राम वासी एवं अन्य ग्राम पं0 की समस्त आशा बहुये, नेहरु युवा केन्द्र के वालेन्टियर, ग्राम पं0 की समस्त आगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका, कोटेदार, चौकीदार, ग्राम रोजगार सेवक, लेखपाल, प्राथमिक विद्यालय के समस्त अध्यापक(स्वच्छता रैली एवं मॉर्निंग फॉलोअप के दौरान), ग्राम पंचायत से सम्बन्धित ए0एन0एम0, समस्त शिक्षा प्रेरक,	ग्राम पंचायत
	सायं 4:00 बजे से 6.00 बजे तक	द्वितीय पाली में स्वच्छता रैली		
	सायं 6:00 बजे से 08 बजे तक	ग्रामवासियो के साथ बैठक कर दिनभर की गतिविधियो पर चर्चा।		

........2

उपरोक्त कार्यक्रम का शुभारम्भ **दिनांक 12.07.2016** को पूर्वान्ह 8.00 बजे विकासखण्ड स्तर पर निम्नलिखित नोडल अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्जवलन किया जायेगा जिसमें खण्ड विकास अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा प्रतिभाग करेगें तथा तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में दीप प्रज्जवलन किया जायेगा। इसके उपरान्त विकासखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी एवं तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी पूर्वान्ह् 8.00 से 12.00 बजे तक कम से कम 03 ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर प्रतिभाग करने के उपरान्त सायं 4.00 बजे विकासखण्ड संडवाचंदिका सभागार में उपस्थित होगे।

नोडल अधिकारियों के अतिरिक्त समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त पशु चिकित्साधिकारी, समस्त स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कम से कम 03 ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से भ्रमण एवं प्रतिभाग किये गये ग्राम पंचायतों की सूची टिप्पणी सहित संलग्न निर्धारित प्रारूप पर जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 14.12.16 तक उपलब्ध करायेगे।

समस्त खण्ड विकास अधिकारी विकासखण्ड में कार्यरत समस्त सहायक विकास अधिकारियों की विभिन्न न्याय पंचायतों में ड्यूटी लगाकर उनके द्वारा कम से कम 05 ग्राम पंचायतों का भ्रमण सुनिश्चित करेगें एवं दिनांक 14.07.16 तक सहायक विकास अधिकारी का नाम अंकित करते हुए भ्रमण किये गये ग्रामों की सूची टिप्पणी सहित संलग्न निर्धारित प्रारूप पर जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करायेगे।

जिला पंचायत राज अधिकारी समस्त भ्रमण आख्याओं का संकलन कर दिनांक 15.07.16 की सायं तक 6.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी एवं मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगे।

क्र0	विकासखण्ड	नोडल अधिकारी
1	आसपुरदेवसरा	श्री डी0पी0दूबे, अधि0अभि0लो0नि0वि0(प्रा0खण्ड),9415487659
2	पट्टी	डा0 वी0पी0 सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, 9415653399
3	मंगरौरा	श्री शलभ श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, 9415091639
4	लालगंज	श्री ए0के0विश्नोई, उप कृषि निदेशक, 9235629453
5	लक्ष्मणपुर	जिला पूर्ति अधिकारी, 8004801162
6	सांगीपुर	श्री ओ0पी0मिश्र, अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, 9450963894
7	रा0संग्रामगढ	श्री जय सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, 9453004067
8	गौरा	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, 9450963703
9	शिवगढ	श्री अश्विनी सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी, प्रथम, 9532113857
10	बेलखरनाथ	श्री अजय सिंह, मुख्य कार्यकारी अधि0, मत्स्य, 7376737000
11	कुण्डा	जिला विद्यालय निरीक्षक, 9454457383
12	बाबागंज	श्री अनिल कुमार शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत,9415323348
13	बिहार	श्री सिंह प्रताप देव, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 9453075070
14	कालाकांकर	श्री ओ0पी0सोनकर, अधि0अभि0लो0नि0वि0नि0खण्ड–1, 9452205281
15	मान्धाता	श्री डी0के0अहिरवार, अधि0अभि0लो0नि0वि0नि0खण्ड–2 8795975000
16	सदर	श्री राम इन्द्र यादव, जिला खादी ग्रामोद्योग अधि0, 8853115792
		रिजर्व अधिकारी
1	श्री अरविन्द प्रकाश, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, 8005369269	
2	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	

नमित रिर्जव अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 12.07.16 को मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा निर्देशित किये जाने पर भ्रमण करना सुनिश्चित करेगें।

उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त जिला स्तरीय अधिकारी(जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त, श्रम रोजगार एवं परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 जिनके पास अतिरिक्त विकासखण्ड का प्रभार है) को छोड़कर **ग्राम पंचायत बोझी विकासखण्ड मंगरौरा** में पूर्वान्ह 8.00 बजे उपस्थित होगें, जहां पर दीप प्रज्जवलन कर **"पावन प्रतापगढ दिवस "** का शुभारम्भ किया जायेगा। ग्राम पंचायत बोझी में उक्त आयोजन की जिम्मेदारी जिला पंचायत राज अधिकारी की होगी।

1. ग्राम प्रधान एवं सफाई कर्मचारी की सहभागिता जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
2. सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक/शिक्षा प्रेरक— सहभागिता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
3. **ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामों में कार्यरत गठित राजीव गॉधी महिला विकास परियोजना समूहों एवं अन्य समूह जो** सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं एवं अभियान से जुड़ना चाहते है, की सहभागिता परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 एवं राजीव गॉधी महिला विकास परियोजना समूहों को जिलास्तरीय को—आर्डिनेटर द्वारा कराया जायेगा।
4. आंगनबाडी कार्यकत्री एवं सहायिका की सहभागिता जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
5. आशा एवं ए0एन0एम0 की सहभागिता एम0ओ0आई0सी0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
6. **कोटेदार** की सहभागिता जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
7. **स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की सहभागिता** मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
8. **ग्राम रोजगार सेवकों** की सहभागिता उपायुक्त, श्रम रोजगार द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
9. **नेहरू युवा केन्द्र के वालिन्टयर** की सहभागिता जिला समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
10. **समस्त सचिवों/ग्राम विकास अधिकारियों एवं लेखपाल** की सहभागिता सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी एवं जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
11. चौकीदार को ट्रिगरिंग स्थल पर उपस्थित होना है। ट्रिगरिंग के उपरान्त नियमित रूप से फालोअप किया जाना है जिसका अनुपालन सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
12. जिला बचत अधिकारी अपने अधीनस्थ बचत अभिकर्ता को विभाग के माध्यम से कार्यकम में एवं स्वच्छता अभियान में सम्मिलित करने हेतु प्रयास करेगें।
13. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत से समन्वय कर जिला पंचायत सदस्यों को कार्यक्रम में एवं स्वच्छता अभियान में सम्मिलित करने हेतु प्रयास करेगे।
14. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी मा0प्रमुख एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ समन्वय कर कार्यक्रम में एवं स्वच्छता अभियान में सम्मिलित करने हेतु प्रयास करेगे।
15. मुख्य चिकित्साधिकारी सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारियों के माध्यम से उपचार हेतु आये मरीजो को गंदगी से होने वाली बीमारियों से निजात दिलाने हेतु स्वच्छता अभियान में सम्मिलित करने हेतु प्रयास करेगे।
16. लीड बैंक मैनेजर जनपद के सभी बैंक शाखाओं में ऋण अथवा शासकीय योजनाओं में दिये जा रहे अनुदान के लाभार्थियों को सम्बन्धित शाखा प्रबन्धकों के माध्यम से स्वच्छता अभियान से जोड़ने हेतु प्रयास करेगे एवं नियमानुसार उक्त कार्यकम के प्रचार—प्रसार हेतु अन्य प्रयास भी करेगे।

......4

17. प्रभारी श्रमायुक्त/जिला सेवायोजन अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिकों तथा श्रम विभाग की अन्य संचालित योजनाओं के लाभार्थियों को स्वच्छता अभियान में सम्मिलित करने हेतु प्रयास करेगे।
18. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी शासकीय योजनाओं में लाभान्वित हुये लाभार्थियों को एस0एम0एस0 के माध्यम से स्वच्छता अभियान से जुड़ने और उसे सफल बनाने हेतु सूचित करेंगे।
19. उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कृषकों के साथ समन्वय कर कार्यक्रम में एवं स्वच्छता अभियान में सम्मिलित करने हेतु प्रयास करेगे।
20. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता सहकारी समितियों के सचिव एवं सक्रिय किसानों के साथ समन्वय कर कार्यक्रम में एवं स्वच्छता अभियान में सम्मिलित करने हेतु प्रयास करेगे।
21. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पशु चिकित्सालयों में आने वाले पशुपालकों को संक्रामक बीमारियों से निजात दिलाने हेतु स्वच्छता अभियान में सम्मिलित करने हेतु विभागीय स्तर पर प्रयास करेगे।
22. शान्ति व्यवस्था को सुनिश्चित कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी एवं सम्बन्धित थानाध्यक्ष की होगी।

उक्त कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला पंचायत राज अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की होगी।

संलग्नकः—यथोक्त।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी
प्रतापगढ।

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ।

पत्रांक 700 /7–पं0/एस0बी0एम0(जी0)/2016–17 दिनांक 05 जुलाई ,2016

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ।
2. मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतापगढ।
4. अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)/अपर जिलाधिकारी (भू0रा0)प्रतापगढ।
5. समस्त उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी, प्रतापगढ।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी(विकासखण्ड संडवाचंद्रिका को छोडकर) जनपद प्रतापगढ।
7. जिला पंचायतराज अधिकारी प्रतापगढ को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय बनाये रखेंगें।
8. जिला सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त कार्यक्रम का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क करायें।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को जनपद प्रतापगढ एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
प्रतापगढ।

नोडल एवं अन्य अधिकारियों द्वारा भ्रमण के उपरान्त दी जाने वाली भ्रमण रिपोर्ट

तहसील............................विकास खण्ड .... ग्राम पंचायत......................राजस्व ग्राम ....

भ्रमण करने वाले अधिकारी का नाम..पद नाम............................भ्रमण तिथि..................समय.....

क0सं0	मूल्याकंन बिन्दु	विवरण
1	कितने लोगों द्वारा ओ0डी0एफ0 अभियान में भ्रमण के दौरान सहभागिता की गयी	
2	कौन–कौन से ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी / कर्मचारी मौजूद रहे	
3	किन–किन विषयों पर जानकारी दी गयी	
4	2. आमजन का सुझाव :–	
5	3. भ्रमण करने वाले अधिकारी की टिप्पणी / सुझाव :–	

भ्रमण करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर